

सूचना

विषय : सीआईएल द्वारा अनुमोदित एनसीडीपी के तहत सीपीपी के आश्वासन पत्र (एलओए) में बदलाव।

दिनांक 2.02.2010 के CIL/CMO/47252(New Pol)/93 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक ने सीपीपी उपभोक्ताओं के लिए निम्न रूप से 9, 10 और 11 माइलस्टोन्स संशोधन किया है:

| मद | मौजूदा प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|--|---|---|
| संख्या 9 मुख्य संयंत्र और उपकरण की प्रक्रिया के लिए सूचना | 18 महीनों में आगे बढ़ते कार्य आदेश/अनुबंध के लिए सूचना | 24 महीनों के भीतर 1. मदर प्लांट के लिए आगे बढ़ते कार्य आदेश/अनुबंध के लिए सूचना 2. इंड यूज प्लांट के लिए आगे बढ़ते कार्य आदेश/अनुबंध के लिए सूचना |
| संख्या 10 एंड-यूज संयंत्र की शुरुआत | 24 महीनों के भीतर | - |
| संख्या 11 सीपीपी की शुरुआत | 24 महीनों के भीतर | - |

एन.बी.- एफएसए की एक "पूर्ववर्ती शर्त" होगी जो मदर प्लांट संयंत्र/एण्ड यूज संयंत्र है जो एफएसए के तहत कोयले के आहरण से पहले एक चार्टर्ड इंजीनियर/ईपीसी ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कमीशनिंग के लिए तैयार होंगे। के रूप में कमीशन के लिए तैयार होगा ।

सभी संबंधितों को सूचनार्थ।

उप मुख्य विक्रय प्रबंधक